Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **इन्द्रमल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :- **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **282** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2023	अधिवक्ता महेन्द्र सिंह हाजिर आये एवं अप्रार्थी की और से मिसल तलबी एवं मुआवजा राशि प्राप्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अमित नाहर हाजिर। अधिवक्ता महेन्द्र सिंह हाजिर। हाजिर अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की और से अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन अप्रार्थीगण प्रकरण में मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करने चाहते है अतः चैक दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार को कोई उज्र-एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन-मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 241/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम इन्द्रमल वगैराह निर्णय दिनांक 14.12.2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थीगण अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 241/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम इन्द्रमल वगैराह निर्णय दिनांक 14.12. 2021 अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022 /1041 दिनांक 13.06.2022 से प्राप्त अप्रार्थीगण के नाम पर जारी चैक संख्या 017146 से 017150 तक तादादी रूपये रूपये 59,33,224/- अक्षरे उनसठ लाख तैतीस हजार दौ सौ चौबीस रूपये मात्र जो कि अप्रार्थीगण के	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम पर जारी किया गये है शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है उक्त चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को मूल ही लौटाया जावें एवं चैक की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय आदेश दिनांक 14.12.2021 अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। **-S/d-** **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 11.07.2023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official